

पटवारी रिपोर्ट

धीमान जी निवेदन है कि वर्तमान में त्रिहारी में सैग्री प्रिशन जमाबंदी आधार वर्ष से निरन्तर जारी है जवनी साफ्टवेयर में नाबालिग नाम से पूर्व दर्ज करना होगा जवनी उक्त जमाबंदी बनते समय यह नाबालिग नाम के बाद में दर्ज हुआ जो गलत है अतः नाबालिग नाम के सम्मुख अंकित कर इन्द्राज दुरुस्त करना उचित होगा।

21/8
नसीराबाद
16/9/25

भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट

धीमान जी, ग्रा.वि. 5 पर 136 पटवारी (इन्द्राज) वि.प.स. अ.वि. 5

तहसीलदार की रिपोर्ट

वर्तमान रेकार्ड में नाबा. का अंकन नाम के पीछे दर्ज होने से नामा. दर्ज नहीं किया जा सकता। अतः नाबा. का अंकन नाम से पूर्व होने पर ही धार्या का बालिग का नामा. दर्ज किया जा सकता है अतः पत्रक दुरुस्ती हेतु प्रस्तावित है।

2025
414

मय
वि.वि. प्रभासी

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

क्रमांक / - 110

दिनांक:- 19-9-25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एव इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशांषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम त्रिहारी तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2069-72 के खाता संख्या 520 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	दीपक नाबा. पुत्र रामदेव, जाति-जाट, दि. 1/576 शेष बंदखोर	उपरोक्त खसरा संख्या में जाति अनुसार	खाता	नाबालिग दीपक पुत्र रामदेव, जाति-जाट, दि. 1/576 शेष बंदखोर	उपरोक्त खसरा संख्या में जाति अनुसार	खाता

क्रमांक:- 4850-51

दिनांक:- 19-9-2025

- प्रतिलिपि:- 1. तहसीलदार नसीराबाद को पालनाथ)
2. उपरोक्त पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद, जिला अजमेर